

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-11/2026- 977

व०प०, राँची, दिनांक- 13/03/26

प्रेषक,

चन्द्रशेखर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड,
मुख्यालय, हरमू चौक, राँची-834002

विषय :- मेसर्स अमलगम स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा सरायकेला वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा-काण्ड्रा, पो०-काण्ड्रा में अवस्थित एकीकृत स्टील प्लांट के विस्तारीकरण हेतु 34.83 हे० वनभूमि (86.07 एकड़) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-60 दिनांक-31.01.2026 एवं पत्रांक-156 दिनांक-21.02.2026 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ii) प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करनी होगी।
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु नियमानुसार ससमय सभी कार्रवाई प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।
- (iv) प्रस्तावित वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (v) वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन संरक्षक/नोडल पदाधिकारी/PSC-II द्वारा की गई अनुशंसा/स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (vi) CWLW द्वारा प्रस्तावित शर्त/शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (vii) FRA, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (viii) F.C. Act, 1980 तथा इसके तहत निर्गत दिशा-निदेशों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (ix) अन्य सामान्य, मानक एवं विशिष्ट शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

चन्द्रशेखर प्रसाद
13/3/26

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-वन भूमि-11/2026- 977 व०प०, राँची, दिनांक- 13/03/26

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-वन भूमि-11/2026- 977 व०प०, राँची, दिनांक- 13/03/26

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/मेसर्स अमलगम स्टील एवं पावर लिमिटेड, काण्ड्रा चौका रोड, पोस्ट- काण्ड्रा, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 34.83 ha of Forest Land for expansion of the steel plant in favour of M/s Amalgam Steel & Power Limited under Saraikela Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 34.83 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-...9.7.7.... dated-...13/03/2026


Chandra Shekhar Prasad.
Deputy Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

(Official Seal)

Date: 13/03/2026

Place: Ranchi

श्री चन्द्रशेखर प्रसाद
उप सचिव
उप सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची